

साइबर तहसील

चर्चा में क्यों?

साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिये कार्यान्वयन की गई एक **डिजिटल गवर्नेंस पहल** है।

प्रमुख बटु:

- राज्यव्यापी वसितार: **1 जून 2022** को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, अब इसे सभी **55 जिलों** में लागू किया जाएगा।
- उद्देश्य: भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करना एवं पारदर्शिता में सुधार करना।
- कागज़ रहति प्रणाली: भूमि हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है, जो संपत्ति पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
- त्वरति समाधान: संपूर्ण प्रक्रिया **15 दिनों** के भीतर पूरा हो जाती है, जिससे तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।
- स्वचालित मामला निर्माण: पंजीकृत मामले स्वचालित रूप से **महानरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (Inspector General of Registration and Stamps- IGRS)** पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे मैन्युअल वलिब कम हो जाता है।
- डिजिटल डिलीवरी: अद्यतन भूमि रिकॉर्ड सीधे **ईमेल या व्हाट्सएप** के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- न्यायालयीन मामलों में कमी: **14 लाख** पंजीकृत मामलों में से **2 लाख** मामलों का नपिटारा न्यायालय में उपस्थिति के बिना किया गया, जिससे न्यायिक बोझ कम हुआ।

पंजीयन एवं मुद्रांक महानरीक्षक

- IGRS एक प्रमुख अधिकारी होता है जो किसी राज्य में दस्तावेजों के **पंजीकरण** और मुद्रांकन प्रक्रिया के प्रबंधन तथा देखरेख का प्रभारी होता है।
- IGRS विभिन्न कानूनी दस्तावेजों जैसे संपत्ति विलिख, विवाह प्रमाण-पत्र और अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों के **पंजीकरण का पर्यवेक्षण** करता है।
- यह **सुनिश्चित करना** का पंजीकरण प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन करती है।
- मुद्रांक शुल्क के संग्रह का प्रबंधन** करता है, जो कुछ दस्तावेजों पर लगाया जाने वाला कर है।
- मुद्रांक शुल्क वनियमों का अनुपालन** सुनिश्चित करना तथा उल्लंघन के वरिद्ध कार्रवाई करना।